माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के समक्ष

अनुराग वशिष्ठ – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा वित्तीय निगम और अन्य-प्रतिवादी

2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5314

अप्रैल 26, 2017

(क) भारत का संविधान, 1950-कला 14 और 226-विभागीय जांच-न्यायिक समीक्षा-याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर, जिसने सबूत पेश किए, एक जांच अधिकारी के खिलाफ आपत्तियां उठाई जिसे बदल दिया गया था- केवल तथ्य यह है कि दो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी थे, इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग का मामला मजबूत हो गया- याचिकाकर्ता हमेशा एक कानूनी व्यवसायी की सहायता का दावा कर सकता था- याचिकाकर्ता स्वयं अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर होने के कारण एक योग्य व्यक्ति था और कार्यवाही को समझा- याचिकाकर्ता प्रबंध निदेशक के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता है जिसने केवल याचिकाकर्ता की सिफारिशों पर काम किया है- नए प्रवेशी होने के कारण लीजिंग मैनेजर के मामले में लिया गया उदार दृष्टिकोण- याचिकाकर्ता अतिरिक्त महाप्रबंधक के रैंक का एक अनुभवी अधिकारी था और नियंत्रण अधिकारी था- जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया गया- याचिकाकर्ता और अन्य दो अधिकारियों के बीच कोई समानता नहीं।

अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त प्रबंध निदेशक की भूमिका अलग थी। उन्होंने केवल याचिकाकर्ता की सिफारिशों पर काम किया। लीजिंग मैनेजर मनीषा गुप्ता की भूमिका पर विधिवत चर्चा की गई है और उनके नए प्रवेशी होने के कारण एक उदार दृष्टिकोण लिया गया है। याचिकाकर्ता का मामला अलग-अलग स्तर पर है। वह अपर महाप्रबंधक रैंक के अनुभवी अधिकारी थे और नियंत्रक अधिकारी थे। इसलिए, भारत संघ और अन्य बनाम तेजवीर सिंह, मनु/एससी/1351/2002, एनसी अरोड़ा बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार ने भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार को स्वीकार कर लिया है। हरियाणा राज्य और अन्य 1997 (1) इस न्यायालय के एससीटी 206 और रत्नाकर पीएम बनाम यूको बैंक क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुंबई और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अन्य के माध्यम से वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होते हैं।

(पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि, इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और क्या इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार है उक्त जांच रिपोर्ट और पूर्वोक्त निर्णयों में उल्लिखित आधारों पर दंड आदेश?

(पैरा 15)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि, मुझे लगता है कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को इस न्यायालय के निष्कर्षों के साथ बदलने के लिए जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया गया। याचिकाकर्ता और उसके द्वारा संदर्भित अन्य दो अधिकारियों के बीच कोई समानता नहीं है।

(पैरा 16)

(बी) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14 और 226-विभागीय जांच में बर्खास्तगी की सजा-आपराधिक मामले में दोषमुक्ति- न्यायिक समीक्षा-केवल यह तथ्य कि आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था या बरी कर दिया गया था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं- आपराधिक मामलों में सबूत के लिए मापदंड और विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से अलग हैं - आपराधिक मामले में निर्वहन या बरी करना उस आरोप को धारण करने का आधार नहीं है विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित नहीं होता है - बर्खास्तगी की सजा बरकरार रखी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, केवल यह तथ्य कि आपराधिक मामलों में, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था या बरी कर दिया गया था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं। आपराधिक मामलों और विभागीय कार्यवाही में सबूत के लिए मापदंड पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए, आपराधिक मामलों में निर्वहन/बरी होना यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं।

(पैरा 17)

अमित झांजी, याचिकाकर्ता के वकील

धीरज चावला, उत्तरदाताओं के वकील

कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 17.2.2000 (अनुलग्नक पी 10) के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय से संपर्क किया है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 17.7.2006 (अनुलग्नक पी 17) के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसके तहत उनकी विभागीय अपील खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने रिट की भी मांग की

(घ) सरकार ने उसे पूर्ण बकाया वेतन और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने के लिए परमादेश सरकार से अनुरोध किया है और सीपीएफ, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवा लाभों को जारी करने की भी मांग की है।

(2) दलीलों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता हरियाणा वित्तीय निगम में अतिरिक्त महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। वह लीजिंग सेक्शन के इंचार्ज थे। याचिकाकर्ता के लीजिंग सेक्शन के प्रभारी होने के साथ-साथ श्री अजीत एम. शरण, आईएएस, प्रबंध निदेशक और मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर, हरियाणा वित्तीय निगम के खिलाफ अनुदान में अनियमितताओं और अवैधता और विभिन्न फर्मों और कंपनियों को वित्त की प्रगति के संबंध में कुछ कृत्यों और चूक के आरोप थे। याचिकाकर्ता को दिनांक 11.8.1996 के आदेश (अनुबंध पी 1) के तहत निलंबित कर दिया गया था। उन्हें वर्ष 1996 में 17 चार्जशीट के साथ दिया गया था। अन्य दो अधिकारियों अर्थात श्री अजीत एम शरण, आईएएस, प्रबंध निदेशक मंजूरी प्राधिकारी और एक मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर को भी आरोपित किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रबंध निदेशक निलंबन का आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि वह प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए अंतिम प्राधिकारी नहीं था। वह केवल पर्यवेक्षी क्षमता पर काम कर रहा था। प्रतिवादी निगम के निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को वित्त मंजूर करने, जारी करने, पट्टे पर देने और लीजिंग स्कीमों/परिचालनों को लागू करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है। याचिकाकर्ता प्रबंध निदेशक के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य था। जांच अधिकारी श्री सुधीर वर्मा की अध्यक्षता वाले कानूनी प्रभाग द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूतियों को मंजूरी दी गई। बाद में प्रतिभूतियां नकली पाई गईं। इसलिए, पूरे दोष को याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाले लीजिंग डिवीजन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह आगे कहा गया कि प्रतिवादी निगम ने पट्टे के मामलों (अनुलग्नक पी 5) में वर्ष 1996 और 1997 में 8 एफआईआर भी दर्ज कीं। सभी मामलों में, याचिकाकर्ता को या तो बरी कर दिया गया है या बरी कर दिया गया है। आगे यह कहा गया है कि मूल रूप से श्री बीआर गोयल को एक जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता की आपत्ति पर श्री सुधीर, जो विधि प्रभाग के प्रमुख थे, को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दो प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनके नाम सुभाष अरोड़ा और केआर अय्यर हैं। जांच अधिकारी कानूनी रूप से योग्य था जिसके पास एलएलबी की डिग्री थी। पंकज मित्तल, प्रबंधक (पट्टेदार) भी प्रतिवादी निगम की ओर से जांच कार्यवाही से जुड़े थे, जबकि याचिकाकर्ता को कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी। जांच अधिकारी ने 30.12.1998 को जल्दबाजी में जांच कार्यवाही पूरी कर ली। याचिकाकर्ता को दिनांक 2.7.1999 (अनुबंध पी 8) का कारण बताओ नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर प्रशासनिक द्वारा विचार किया जाना था

डिवीजन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जांच अधिकारी ने की थी। याचिकाकर्ता को 17.2.2000 (अनुबंध पी 10) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रबंध निदेशक ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया था। इस मामले को निदेशक मंडल को अग्रेषित नहीं किया गया था और निदेशक मंडल की कोई पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि सुधीर वर्मा द्वारा मंजूरी दिए बिना मामलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी, जो कानूनी प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने विनियम 1967 के विनियमन 43 (बी) के तहत अपील की। चूंकि अपील पर सात महीने से अधिक समय तक फैसला नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने अवैध निलंबन और बर्खास्तगी के अवैध आदेश को चुनौती देते हुए सीडब्ल्यूपी संख्या 16884-2000 दायर की। इस न्यायालय ने दिनांक 8.12.2000 (अनुबंध पी 12) के आदेश के तहत निदेशक मंडल को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर अपील पर विचार करने और

निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसलिए, दिनांक 15.2.2001 (अनुलग्नक पी 13) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाए बिना अपील खारिज कर दी गई। निदेशक मंडल द्वारा अपील की अस्वीकृति के आदेश पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आगे यह कहा गया है कि आरोप पत्र उपकरण पट्टे के मामलों और उप-पट्टे के मामलों से संबंधित हैं। उपकरण पट्टे के मामलों के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के समय स्थल का दौरा नहीं किया गया था। उप-पट्टे के मामलों के संबंध में, यह आरोप लगाया गया है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा कवर नोटों की प्रतियां बाद में जारी करने से पहले प्राप्त नहीं की गई थीं। प्रबंध निदेशक ने दिनांक 8-3-1994 के आदेश के तहत निर्देश दिया था कि पट्टे के मामलों को तीन दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। याचिकाकर्ता ने 15 दिनों की अवधि का सुझाव दिया है और यह कि औद्योगिक इकाई का दौरा आवश्यक नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता के प्रस्ताव की पुष्टि तत्कालीन महाप्रबंधक श्री यू.एस.चड्ढा ने की थी। तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। प्रत्येक मामला अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक के पास जाना है। प्रबंध निदेशक इसे अंतिम रूप देने से पहले स्थल के दौरे को अनुमोदित कर सकते हैं। उप-पट्टे के मामलों में, पट्टा सहयोगियों को 100% संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने और संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए पट्टे के किराए के उत्तर दिनांकित चेक प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत गारंटी, वचन पत्र आदि दिए जाने की आवश्यकता थी। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को प्रक्रियात्मक खामियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता के साथ-साथ मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर और श्री अजीत एम. शरण, आईएएस, प्रबंध निदेशक को आरोपित किया गया था। याचिकाकर्ता के साथ-साथ मनीषा गुप्ता ने 2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3808 और 2003 की 15689 के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर की रिट याचिका को 13.4.2004 (अनुबंध पी 14) को याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए निदेशक मंडल को वापस भेजकर निपटाया गया। की रिट याचिका

मनीषा गुप्ता के मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता का भी निस्तारण कर दिया गया। आगे यह बताया गया है कि दिनांक 9.11.2005 (अनुबंध पी 18) के आदेश के तहत मनीषा गुप्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई है। यह आगे कहा गया है कि अजीत एम शरण, आईएएस के खिलाफ इसी तरह के आरोपों के बारे में, मुख्य सचिव ने पाया कि कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं है और तदनुसार, उन्हें बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए था।

(3) लिखित बयान में, उत्तरदाताओं ने आक्षेपित आदेशों को पारित करने से इनकार नहीं किया है। उत्तरदाताओं ने आक्षेपित आदेशों को पारित करने को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता केवल प्रबंध निदेशक को पट्टे पर देने वाले प्रबंधक की रिपोर्ट पर एक अग्रेषित हाथ नहीं था, जो मंजूरी देने वाला प्राधिकारी था। वास्तव में, याचिकाकर्ता लीजिंग डिवीजन का प्रमुख था। उन्हें कनिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन करना था। इसलिए, यह कहना उसके साथ झूठ नहीं है कि वह केवल अग्रेषित हाथ था। यह स्वीकार किया गया था कि राज्य सरकार ने निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी लेकिन जांच के बाद आरोप हटा दिए गए क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। श्रीमती मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। निदेशक मंडल तथ्यों पर विचार करने और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी समय उनके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी ने मौखिक या लिखित

रूप से उनके ध्यान में प्रक्रियात्मक खामियों को सामने नहीं लाया। यह भी पाया गया कि उनके विरुद्ध पाई गई प्रक्रियात्मक खामियों को निगम की सेवाओं में एक युवा प्रत्यक्ष प्रवेशी के रूप में उनकी अनुभवहीनता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए, उसे सेवा में बहाल कर दिया गया था। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता न तो मूल्यांकन और प्रसंस्करण अधिकारी था और न ही मंजूरी और संवितरण प्राधिकारी आरोपों के तहत उसकी देयता के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह कहा गया था कि उन्हें आरोपों का दोषी पाया गया था। उन्हें उचित और पूरा मौका दिया गया। इसलिए, बर्खास्तगी का आदेश सही ढंग से पारित किया गया था। यह भी कहा गया था कि विनियमन 19 (2) (बी) को निदेशक मंडल द्वारा 1.11.1996 को आयोजित बैठक में हटा दिया गया था और इसे 11.8.1997 की राजपत्र अधिसूचना (अनुबंध आर 1/1) में अधिसूचित किया गया था। यह कहा गया था कि विनियमन 41 (4) में प्रयुक्त कर्मचारी शब्द में अधिकारी भी शामिल है। आगे यह भी खुलासा किया गया कि मनोज अरोड़ा, मैंगर लीजिंग को भी 30-7-2000 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने मानदंडों और दिशानिर्देशों और प्रक्रिया का उल्लंघन किया। निगम द्वारा दर्ज की गई 8 एफआईआर का भी संदर्भ दिया गया था। यह भी कहा गया कि 3 एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम चालान में दिखाई दिया। यह दावा किया गया था कि एक निष्पक्ष जांच आयोजित की गई थी। आदेश सही ढंग से पारित किए गए हैं।

(4) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और फाइल को ध्यान से देखा है।

(5) दलीलों से यह सामने आता है कि तीन अधिकारी थे, वर्तमान याचिकाकर्ता, जो अतिरिक्त महाप्रबंधक लीजिंग थे और लीजिंग विभाग के प्रमुख थे, प्रबंधक पट्टे, मनीषा गुप्ता, फिर एक प्रबंध निदेशक, श्री अजीत एम। मनीषा गुप्ता भी मूल्यांकन अधिकारी थीं और दस्तावेजों का मूल्यांकन कर रही थीं। फाइल पर रखी गई रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि यह पाया गया था कि वह प्रत्यक्ष प्रवेशी और अनुभवहीन अधिकारी थीं, इसलिए, उनकी बर्खास्तगी के आदेश को संशोधित किया गया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया। फाइल पर रखी गई चार्जशीट की प्रतियों से पता चलता है कि हरियाणा वित्तीय निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ 17 अलग-अलग कंपनियों/फर्मों के संबंध में 17 अलग-अलग आरोप थे।

(6) आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि ये बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। कुछ मामलों में फर्जी पते दिए गए थे। अन्य मामलों में, नकली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और उचित दस्तावेज प्राप्त किए बिना, वित्तीय सहायता अग्रिम में दी गई थी। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त महाप्रबंधक और पट्टे पर देने वाले विभाग के प्रमुख होने के नाते अपने विभाग पर समग्र पर्यवेक्षी नियंत्रण रखते थे। इसलिए, यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व था कि नियमों और विनियमों का पालन किया जाए और दस्तावेजों की विधिवत जांच की जाए। फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि की जा सकती थी। याचिकाकर्ता को केवल अपने प्रबंधक लीजिंग द्वारा उसे दिए गए दस्तावेजों/फाइलों पर कार्रवाई नहीं करनी थी। याचिकाकर्ता एक अनुभवी अधिकारी था। यह एक या दो आकस्मिक मामले नहीं थे जहां ऐसी अनियमितताएं की गई थीं, बल्कि 17 फर्मों के संबंध में 17 की संख्या वाले कई मामले थे, जिसका अर्थ है कि नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना, नकली पते देना और वित्तीय सहायता प्राप्त करना आम बात हो गई थी। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने केवल याचिकाकर्ता की सिफारिशों के आधार पर कार्य किया। कानूनी विभाग ने केवल अपनी कानूनी राय दी।

(7) विभागीय जांच में हस्तक्षेप के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय की शक्तियों का अच्छी तरह से निपटारा किया गया है।

(8) भारत संघ और अन्य बनाम पी. गुणशेखरन 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए: -

अच्छी तरह से तय स्थिति के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम किया है, यहां तक कि जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य की भी पुन: सराहना की है। आरोप सं 10 पर निष्कर्ष निकाला गया है। मुझे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील की दूसरी अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और न ही कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में उद्यम नहीं करेगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि क्या:

एक। जांच एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है; जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है; कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है;

d. अधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुणों के बाहर कुछ विचारों से निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने से खुद को अक्षम कर लिया है;

ई। अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने की अनुमति दी है;

स्त्री-विषयक। निष्कर्ष, इसके बहुत चेहरे पर, पूरी तरह से मनमाना और मनमौजी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था;

ग्राम। अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने में विफल रहा था;

h. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य स्वीकार कर लिया था जिसने खोज को प्रभावित किया था;

। तथ्य की खोज बिना किसी सबूत के आधारित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

()। सबूतों की फिर से सराहना करें;

(द्वितीय) जांच में निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप, यदि यह कानून के अनुसार आयोजित किया गया है;

(iii). साक्ष्य की पर्याप्तता में जाओ; (iv). साक्ष्य की विश्वसनीयता में जाना;

(v). हस्तक्षेप करें, अगर कुछ कानूनी सबूत हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।

(vi) तथ्य की त्रुटि को सुधारें, हालांकि यह गंभीर प्रतीत हो सकता है;

(सातवीं). सजा की आनुपातिकता में जाओ जब तक कि यह अपनी अंतरात्मा को झकझोर न दे।

(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी दृष्टिकोण को

गुजरात उच्च न्यायालय बनाम हितेंद्र व्रजलाल अशरा और अन्य

(10) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम रमेश दिनकर पुंडे 3 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि अनुशासनिक कार्यवाही दांडिक विचारण नहीं है और अपेक्षित प्रमाणों का मानक संभाव्यता की प्रबलता का है न कि युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करके। इसलिए, उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन करके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

(11) इसलिए, यदि उक्त सिद्धांतों को लागू किया जाता है, तो यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था। उसने सबूत पेश किए। उन्होंने एक जांच अधिकारी के संबंध में आपत्ति जताई और उन्हें बदल दिया गया। केवल यह तथ्य कि दो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी थे, इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग का मामला मजबूत हो गया। याचिकाकर्ता हमेशा एक कानूनी व्यवसायी की सहायता का दावा कर सकता है, यदि वह ऐसा चाहता है। याचिकाकर्ता स्वयं अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर होने के कारण एक योग्य व्यक्ति था और कार्यवाही को समझता था।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पहले की रिट याचिका में, मामला निदेशक मंडल को भेज दिया गया था। निदेशक मंडल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। निदेशक मंडल के दिनांक 17.7.2006 के आदेश (अनुबंध पी 17) के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विधिवत चर्चा की गई थी। मनीषा गुप्ता की बहाली के तथ्य पर भी चर्चा की गई और इसके कारण भी दिए गए। यह देखा गया कि प्रतिवादी निगम को वित्तीय नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता ने उप-पट्टेदार कंपनियों के प्रदर्शन को प्राप्त करने और विश्लेषण करने में योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित किया गया, जो अंततः दायित्वों के पुनर्भुगतान में चूक गए, जिससे निगम को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यह याचिकाकर्ता की ओर से घोर लापरवाही का कार्य था। केवल तथ्य यह है कि यह भी देखा गया था कि तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा पारित बर्खास्तगी का आदेश अच्छी तरह से तर्कसंगत पाया जाता है, केवल एक आधार है। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता द्वारा सामने रखे गए सभी आधारों पर चर्चा की गई है और परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई है। आदेश अनुबंध पी 17 के तहत अपील को खारिज करने वाले निदेशक मंडल के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि इस मामले में भेदभाव किया गया है। श्री अजीत एम शरण, आईएएस, प्रबंध निदेशक और मनीषा गुप्ता, लीजिंग मैनेजर के साथ अनुकूल व्यवहार किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता उक्त अधिकारियों के साथ समानता का दावा करता है।

(14) मेरा विचार है कि चूंकि श्री अजीत एम शरण, आईएएस, प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इसलिए मुख्य सचिव द्वारा कार्रवाई की गई, जिन्होंने उनकी भूमिका की जांच करने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी। उक्त प्रबंध निदेशक की भूमिका अलग थी। उन्होंने केवल याचिकाकर्ता की सिफारिशों पर काम किया। लीजिंग मैनेजर मनीषा गुप्ता की भूमिका पर विधिवत चर्चा की गई है और उनके नए प्रवेशी होने के कारण एक उदार दृष्टिकोण लिया गया है। याचिकाकर्ता का मामला अलग-अलग स्तर पर है। वह अपर महाप्रबंधक रैंक के अनुभवी अधिकारी थे और नियंत्रक अधिकारी थे। इसलिए, भारत संघ और अन्य बनाम तेजवीर सिंह, मनु/एससी/1351/2002, एनसी अरोड़ा बनाम हरियाणा राज्य और इस न्यायालय के अन्य4 और रत्नाकर पीएम बनाम यूको बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुंबई और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अन्य के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

(15) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और क्या उपरोक्त निर्णयों में उल्लिखित आधारों पर उक्त जांच रिपोर्ट और दंड आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार है?

(16) मुझे लगता है कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को इस न्यायालय के निष्कर्षों के साथ बदलने के लिए जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया गया। याचिकाकर्ता और उसके द्वारा संदर्भित अन्य दो अधिकारियों के बीच कोई समानता नहीं है।

(17) केवल यह तथ्य कि आपराधिक मामलों में, याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था या बरी कर दिया गया था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं। आपराधिक मामलों और विभागीय कार्यवाही में सबूत के लिए मापदंड पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए, आपराधिक मामलों में निर्वहन/बरी होना यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं।

(18) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

संवाददाता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा